न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 22/2021/अपील/एलआरएक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 8.9.2021
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

गोपाल पुत्र औंकार जाति चमार निवासी किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बांरा।

...अपीलांट

बनाम

1. देवीलाल पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी इकलेरा सागर तहसील किशनगंज जिला बांरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज जिला बांरा।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक–अपीलांट
श्री प्रवीण पनवाड अभिभाषक –रेस्पोडेन्ट कम–1

::निर्णय::

दिनांक 18.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार किशनगंज जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 81/16 बउनवान देवीलाल बनाम गोपाल मे पारित निर्णय दिनांक 7.4.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि न्यायालय अति0 जिला कलक्टर शाहबाद द्वारा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अपील को निर्णय दिनांक 26.7.2016 से स्वीकार कर नामा0 सं0 514 दिनांक 17.3.1992 वाके ग्राम रानीबडौद तहसील किशनगंज को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार पुष्पाबाई की जाति एंव उचित वारिसान की विस्तृत जांच कर दोनो पक्षो को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर पुनः नियमानुसार नामा0 खोल कर प्रमाणित करने हेतु रिमांड किया किया। उक्त रिमांड निर्देशो की पालना मे तहसीलदार किशनगंज ने ग्राम रानीबडौद के नामा0 सं0 514 दिनांक 17.3.92 से वादग्रस्त भूमि ख0 नं0 283 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा की विरासतन नामा0 की कार्यवाही मूल खातेदार पुष्पाबाई धर्मपत्नि मांगीलाल जाति चमार (बैरवा) के स्थान पर उसके पुत्र देवीलाल पुत्र मांगीलाल बैरवा के नाम की जाकर नियमानुसार पटवार कागजात मे अमल दरामद किये जाने का दिनांक 7.4.21 को निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट गोपाल ने अपील धारा 75 एलआरएक्ट मे न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पो0 देवीलाल को पुष्पाबाई का पुत्र मान लिया जो अवैधानिक है। खातेदार पुष्पाबाई का एक मात्र कानूनी वारिस अर्थात उसके पति को मानते हुये नामा0 सं0 514 तस्दीक किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर गौर नही किया। विवादित आराजी पूर्व मे गोपाली पुत्री लोहडिया भील के खाते दर्ज थी जो अपीलांट ने अपनी पत्नि पुष्पाबाई के नाम क्रय की थी तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 सं0 229 दिनांक 24.2.72 अपीलांट की पत्नि पुष्पाबाई पत्नी गोपाल चमार के नाम तस्दीक किया गया जिससे पुष्पाबाई का खातेदार होना साबित होता है। यह नामा0 49 वर्ष पुराना है जिसमे किसी प्रकार का संदेह नही किया जा सकता। इस दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलांट ही पुष्पाबाई का पति था तथा पेन्शन

अति. सं. आयुक्त

दस्तावेज एंव जाति प्रमाण पत्र से भी गोपाल की जाति चमार है ऐसी स्थिति मे अपीलांट के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश करना चाहिये था। रेस्पो0 देवीलाल खातेदार का पुत्र होता तो पुष्पाबाई की मृत्यु क बाद तस्दीक नामा0 514 दिनांक 17.3.92 के विरूद्ध अवधि मध्य अपील प्रस्तुत करता परन्तु 19 वर्ष बाद न्यायालय एडीएम के यहां अपील पेश की गई इससे भी सन्देह उत्पन्न होता है कि देवीलाल पुष्पाबाई का पुत्र नही था। अधीनस्थ न्यायालय मे भी ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई जिसके आधार पर देवीलाल खातेदार पुष्पाबाई का पुत्र साबित होता हो। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के देवीलाल को पुष्पाबाई का पुत्र मानकर निर्णय जेरअपील पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। देवीलाल अपने आपको पुष्पाबाई का पुत्र बतलाता है जबकि पुष्पाबाई का फौती नामा0 सं0 514 मे पुष्पाबाई को लाऔलाद बताया है यह दस्तावेज करीब 29 वर्ष पुराना है। जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है। नामान्तरकरण की कार्यवाही मे कौन किसका पुत्र है यह बिन्दू तय नही किया जा सकता। इस बिन्दू को तय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय तहसीलदार को नही है। यदि रेस्पो0 देवीलाल उक्त आराजी मे अपना कोई हक व अधिकार मानता है तो अपने अधिकारो की घोषणा बावत सक्षम न्यायालय मे वाद पेश करना चाहिये। यह गम्भीर बिन्दू जो उत्तराधिकार से संबधित है इसे नामा0 की कार्यवाही मे निर्णित नही किया जा सकता टाईटल एंव उत्तराधिकार का बिन्दू नियमित वाद मे ही तय हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षैत्राधिकार से परे है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय 7.4.21 निरस्त किया जावे तथा खातेदार मृतक पुष्पाबाई की आराजी का विरासतन नामा0 पुष्पाबाई के पति अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार किशनगंज को प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे अभिभाषक उभय पक्षकार द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत लिखित बहस के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट ने अपनी पत्नि पुष्पाबाई के नाम क्रय की थी। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 सं0 229 दिनांक 24.2.72 को पुष्पाबाई पत्नि गोपाल चमार के नाम तस्दीक किया अपी0 की पत्नि पुष्पाबाई की मृत्यु होने पर नामा0 सं0 514 दिनांक 17.3.92 से उक्त आराजी अपीलांट के नाम दर्ज की गई। उक्त नामा0 के विरूद्ध 2010 मे लगभग 18 वर्ष बाद रेस्पो0 ने अपील पेश की जो निर्णय दिनांक 20.3.12 से स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमांड किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा मे पेश की गई जो आदेश 20.3.12 को निरस्त करते हुये पुनः सुनवायी हेतु रिमांड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का मेरिट पर निर्णय पारित ना कर निर्णय दि0 26.7.16 से रेस्पो0 की अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को दिशा निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जबकि प्रकरण का अधीनस्थ न्यायालय को स्वयं निर्णय करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना मे तहसीलदार किशनगंज के द्वारा दिनांक 7.4.21 को निर्णय पारित रेस्पो0 क्रम–1 का नाम खाते मे दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.3.12 को पुनः सुनवाई हेतु एडीएम शाहबाद को रिमांड किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रिमांड निर्देशो की पालना नही कर दिनांक 26.7.16 को प्रकरण सुनवाई हेतु तहसीलदार किशनगंज को रिमांड कर दिया जो कि अवैधानिक है। तहसीलदार किशनगंज द्वारा बिना आधार के रेस्पो0 क्रम–1 को पुष्पाबाई का पुत्र मान लिया जो कि अवैधानिक है जबकि सम्पूर्ण जांच पडताल के बाद नामा0 सं0 514 अपीलांट के पक्ष मे तस्दीक किया गया था। रेस्पो0 क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे पुत्र होने के आधार पर अपील पेश की है जिसमे ऐसा कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किया जिसके आधार पर पुष्पाबाई का पुत्र देवीलाल माना जा सके। कोई व्यक्ति किसका पुत्र है या नही या कौन उत्ताधिकारी है यह बिन्दू नियमित वाद मे सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा बाद साक्ष्य तय किया जा सकता है उत्तराधिकार के प्रश्न को निर्णित करने हेतु सिविल न्यायालय सक्षम है राजस्व न्यायालय तो केवल नामान्तरकरण की प्रविष्टि की वैधता अथवा अवैधता को निर्णित कर सकता है जैसा की माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा आरआरडी 2007(1) पेज 733 पर प्रतिपादित किया है इस कानूनी बिन्दू पर तहसीलदार किशनगंज ने कोई गौर नही किया। विवादित आराजी पूर्व मे गोपाली पुत्री लोहडिया भील के खाते दर्ज थी जो अपीलांट ने अपनी पत्नी पुष्पा बाई के नाम क्रय की और पंजीकृत विक्रय पत्र के

अति. सं. आयुक्त

आधार नामा0 सं0 229 दिनांक 24.2.72 अपीलांट की पत्नी पुष्पाबाई पत्नी गोपाल चमार के नाम दर्ज की गयी। इस नामा0 से भी अपीलांट की पत्नी पुष्पा बाई होना साबित होता है यह नामा0 49 वर्ष पुराना है जिसमे किसी प्रकार का संदेह नही किया जा सकता। इस दस्तावेज एंव पेंशन दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र से भी अपीलांट का पुष्पाबाई का पति होना साबित है। रेस्पो0 देवीलाल पुष्पाबाई का पुत्र होता तो नामा0 सं0 514 दि0 17.3.92 की अपील अवधि मध्य प्रस्तुत करता या अपने अधिकारों के लिये कार्यवाही करता परन्तु 19 वर्ष बाद अपने आपको पुष्पाबाई का पुत्र अर्थात उत्त्राधिकारी बताते हुए एडीएम के यहां अपील पेश की जिसका कोई आधार नही था तथा बिना ठोस दस्तावेज आधार के देवीलाल को पुत्र मान लिया जिसका अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार नही था। तहसीलदार द्वारा नामा0 की प्रकिया मे उत्त्राधिकार का बिन्दू तय नही किया जा सकता। रेस्पो0 उक्त आराजी मे अपना हक व अधिकार मानता है या पुष्पाबाई का उत्तराधिकारी मानता है तो उसे अधिकारों की घोषणा बावत सक्षम न्यायालय मे वाद पेश करना चाहिये था। उपररोक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 7.4.21 निरस्त किया जावे एंव पुष्पाबाई का फौती नामा0 सं0 514 बाहाल किया जावे। रेस्पो0 को निर्देशित किया जावे कि वह अपने आपको पुष्पाबाई का पुत्र या उत्तराधिकारी मानता है तो सक्षम न्यायालय मे अपने अधिकारो के लिये घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने प्रकरण मे लिखित बहस पेश की जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान मे राजस्व रेकार्ड मे रेस्पो0 देवीलाल के खाते दर्ज है। 18 वर्ष बाद अपील पेश करने के संबध मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का पेश किया गया था जिसे एडीएम शाहबाद द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.7.16 मे स्वीकार कर रेस्पो0 देवीलाल की अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को रिमांड किया गया था। इस निर्णय की अपील अपीलांट गोपाल द्वारा नही की गई। तहसीलदार किशनगंज द्वारा विधिवत सुनवाई कर जेरअपील निर्णय पारित किया है ऐसी स्थिति मे अपील काबिले खारिज है। माननीय न्यायालय द्वारा अपील सं0 109/12 मे दिनांक 2.12.14 को मियाद के प्रश्न पर विचार कर निर्णित करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु एडीएम शाहबाद को प्रकरण रिमांड किया गया था निर्णय की पालना मे अपील सं0 7/15 मे दिनांक 26.7.16 को मियाद के प्रश्न को निर्णित करते हुये तहसीलदार किशनगंज को प्रकरण रिमांड किया था कि मूल खातेदार पुष्पाबाई की जाति एंव उचित वारिसान की विस्तृत जांच कर दोनो पक्षो को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर पुनः नियमानुसार नामा0 खोलकर प्रमाणित करे इस निर्णय की अपीलांट गोपाल द्वारा आज दिन तक कोई अपील पेश नही की। इस कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्तनीय है। पूर्व मे रेस्पो0 देवीलाल की मां पुष्पाबाई द्वारा रेस्पो0 देवीलाल के पिता मांगीलाल का देहान्त हो जाने के कारण अपीलांट गोपाल नाता विवाह किया था तथा रेस्पो0 देवीलाल को वह साथ लेकर गई थी वादग्रस्त आराजी को रेस्पो0 ने मां के साथ काश्त की है। तथा अपनी मॉ का अंतिम संस्कार व अन्य कार्यक्रम कराये है। पुष्पाबाई का देहान्त होने उपरांत अपीलांट गोपाल ने ने सांठ गांठ करके इन्ताकाल नं0 514 काल्पनिक व्यक्ति गोपाल पुत्र औंकार जाति चमान निवासी किशनगंज जिसका कोई अस्तित्व नही है के नाम अवैधानिक रूप से दर्ज करवा कर तस्दीक करवा लिया। जबकि पुष्पाबाई के देवीलाल के अलावा कोई संतान नही होने के कारण देवीलाल सुलभी पुत्र होने के कारण पूर्व खातेदार पुष्पाबाई के स्थान पर रेस्पो0 देवीलाल के नाम तस्दीक किया है। जिसकी अपील एडीएम शाहबाद मे करने पर प्रथम बार दिनांक 20.3.12 को व अन्तिम बार दिनांक 26.7.16 को निर्णय पारित कर तथा कथित फौती इंतकाल नं0 514 निरस्त कर मूल मूल खातेदार पुष्पाबाई की जाति व उचित वारिसान की विस्तृत जांच कर दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नियमानुसार नामा0 खोलकर प्रमाणित करने के आदेश तहसीलदार किशनगंज के नाम पारित किये गये थे। रेस्पो0 देवीलाल द्वारा न्यायालय हाजा मे ग्राम पंचायत रानीबडौद की प्रति तहसील किशनगंज की जांच रिपोर्ट दिनांक 20.2.12 एंव प्रशासक ग्राम पंचायत किशनगंज की रिपोर्ट दिनांक 31.12.91 एंव इंतकाल नं0 551 की प्रमाणित प्रति पेश की थी जिसमे गोपाल पुत्र औंकार जाति धाकड के नाम ग्राम इकलेरा सागर मे ख0 नं0 251 की 17 बिस्वा भूमि दर्ज है जिसमे जाति धाकड है तथा जाति धाकड के स्थान पर बैरवा बनकर रेस्पो0 की मॉ पुष्पाबाई के खाते की भूमि का इंतकाल तस्दीक करवा लिया जबकि गोपाल पुत्र औंकार एक काल्पनिक व्यक्ति है। रेस्पो0 द्वारा गोपाल के विरूद्ध सिविल जज एंव न्यायिक मजि0 किशनगंज मे अन्तर्गत धारा 420, 467, 471 मे मुक0 दर्ज करवाने पर गोपाल के विरूद्ध कार्यवाही कर गिरफतार कर न्यायालय मे

अति. स. आयुक्त

चार्जशीट पेश की गई। गोपाल द्वारा उसके प्रमाण पत्रों मे बैरवा जाति अंकित कर रखी है जबकि वह पैदाईशी धाकड जाति का व्यक्ति है। उक्त तथ्यों के आधार पर एडीएम शाहबाद ने इंतकाल निरस्त किया है वर्तमान मे वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड मे वर्तमान मे देवीलाल के नाम दर्ज है। गोपाल द्वारा फर्जी तरीके से बैरवा बताकर धारा 42 राज0 काश्तकारी अधि0 के प्रावधानो का उल्लधन कर इंतकाल तस्दीक करवाया था निरस्त हो चुका है। अपीलांट द्वारा उप जिला कलक्टर किशनगंज के न्यायालय मे भी धारा 88,89,188 आरटीए के तहत दावा प्रस्तुत किया हुआ नही है इस कारण भी अपील चलने योग्य नही है। अपील खारिज की जावे।

5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव प्रार्थना पत्र के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी क्षम्य की जाकर न्यायहित मे अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने अपील पत्रावली का गुणावगुण पर विचार कर आध्योपात अवलोकन किया। तथा प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर ध्यानपूर्वक गौर कर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय अति0 जिला कलक्टर शाहबाद ने रेस्पो0 क्रम–1 देवीलाल द्वारा प्रस्तुत अपील को निर्णय दिनांक 26.7.2016 से स्वीकार कर विवादित आराजी के नामा0 सं0 514 दिनांक 17.3.1992 वाके ग्राम रानीबडौद तहसील किशनगंज को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार पुष्पाबाई की जाति एंव उचित वारिसान की विस्तृत जांच कर दोनो पक्षो को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर पुनः नियमानुसार नामा0 खोल कर प्रमाणित करने हेतु रिमांड किया किया। उक्त रिमांड निर्देशो की पालना मे तहसीलदार किशनगंज ने ग्राम रानीबडौद के नामा0 सं0 514 दिनांक 17.3.92 से वादग्रस्त भूमि ख0 नं0 283 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा की विरासतन नामा0 की कार्यवाही मूल खातेदार पुष्पाबाई धर्मपत्नि मांगीलाल जाति चमार (बैरवा) के स्थान पर उसके पुत्र देवीलाल पुत्र मांगीलाल बैरवा के नाम की जाकर नियमानुसार पटवार कागजात मे अमल दरामद किये जाने का दिनांक 7.4.21 को जेरअपील निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादग्रस्त आराजी उसने सन 1972 मे जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से पुष्पाबाई पत्नि गोपाल के नाम क्रय की थी जिसका नामा0 सं0 83 दिनांक 24.12.72 तस्दीक किया गया था। पुष्पाबाई के फौत होने उपरांत विरासतन नामा0 सं0 514 दिनांक 17.3.92 को गोपाल पुत्र औंकार जाति चमार के नाम तस्दीक किया गया। उक्त इंतकाल की अपील देवीलाल द्वारा एडीएम शाहबाद मे पेश की गई जिसमे पारित निर्णय दिनांक 20.3.12 कि विरूद्ध अपीलांट गोपाल द्वारा न्यायालय हाजा मे अपील पेश की गई जिसमे पारित निर्णय अनुसार एडीएम शाहबाद के निर्णय दिनांक 20.3.12 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया गया। रिमांड आदेश की पालना मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर शाहबाद ने निर्णय दिनांक 26.7.16 से अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 514 दिनांक 17.3.92 निरस्त कर मूल खातेदार पुष्पाबाई की जाति एंव उचित वारिसान की विस्तृत जांच कर दौनो पक्षो को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर पुनः नियमानुसार नामा0 खोलकर प्रमाणित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को रिमांड किया गया। एडीएम शाहबाद द्वारा पारित रिमांड निर्देशो की पालना मे जेरअपील निर्णय दिनांक 7.4.21 पारित कर रेस्पो0 क्रम–1 देवीलाल को पुष्पाबाई का पुत्र मान लिया जिसका तहसीलदार अथवा राजस्व न्यायालय को कोई अधिकार नही था। कौन किसका पुत्र है या नही है, कौन उत्तराधिकारी है यह बिन्दू नामा0 की संक्षिप्त प्रकिया मे तय नही किया जा सकता यह बिन्दू नियमित वाद मे सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा बाद साक्ष्य तय किया जा सकता है उत्तराधिकार के प्रश्न को निर्णित करने हेतु सिविल न्यायालय सक्षम है राजस्व न्यायालय तो केवल नामा0 की प्रविष्टि की वैधता अथवा अवैधता को निर्णित कर सकता है। न्यायिक नजीर आरआरटी 2007 पेज 723 पर प्रतिपादित किया गया है। प्रकरण मे यह भी तर्क रहा है कि नामा0 सं0 514 के विरूद्ध रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा लगभग 19 वर्ष बाद अपील पेश की गई, नामा0 सं0 229 दिनांक 24.2.72 से भी पुष्पाबाई पत्नि गोपाल जाति चमार के नाम

अति. सं. आयुक्त

तस्दीक किया गया तथा जाति प्रमाण पत्र जो उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया एंव पेशन प्रमाण पत्र से भी अपीलांट की जाति बैरवा (चमार) होना प्रमाणित होता है। रेस्पो0 देवीलाल के द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार/दस्तावेज पेश नही किया जिससे कि वह मृतक पुष्पाबाई का पुत्र साबित होता हो तहसीलदार किशनगंज ने उक्त तथ्यों पर गौर नही कर जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जो अवैधानिक है। इसके विपरीत प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 का मुख्य तर्क है कि न्यायालय मे रेस्पो0 दवीलाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से अपीलांट की जाति धाकड है जो नामा0 सं0 551 दिनांक 1.3.17 से ग्राम इकलेरा सागर मे स्थित आराजी से जाति धाकड होना प्रमाणित है। अपीलांट गोपाल द्वारा धाकड जाति के स्थान पर बैरवा बनकर वादग्रस्त भूमि का इंतकाल तस्दीक करवाया है जिसके संबध मे पुलिस थाना किशनगंज द्वारा कार्यवाही की जाकर न्यायालय मे चार्जशीट पेश की गई। वर्तमान मे विवादित भूमि रेस्पो0 क्रम–1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उभय पक्षकारान के उपर्युक्त तको/कथन के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से प्रकट होता है कि तहसीसलदार किशनगंज द्वारा एडीएम शाहबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.7.2016 मे पारित रिमांड निर्देशो की पालना मे वादग्रस्त आराजी की मूल खातेदार पुष्पाबाई की जाति एंव उचित वारिसान की विस्तृत एंव समुचित जांच किया जाना प्रकट नही होता है। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात उपखण्ड अधिकारी बांरा द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, पेंशन प्रमाण पत्र, मे गोपाल आ0 औकार जाति बैरवा होना अंकित है। उक्त दस्तावेजात पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगंज ने गौर किये बिना तथा निर्णय मे अपना कोई अभिमत प्रकट किये बिना जेरअपील निर्णय दिनांक 7.4.21 पारित करने मे त्रुटि की जाना प्रकट होता है। उपरोक्त विशलेषण अनुसार हम तहसीलदार किशनगंज के जेरपअपील निर्णय को न्यायोचित नही पाते है। फलत् अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तथ्यो की समुचित जॉच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार किशनगंज द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 7.4.21 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी की मूल खातेदार पुष्पाबाई एंव अपीलांट की जाति एंव पुष्पाबाई के उचित वारिसान की जांच कर नियमानुसार पुनः विधिसम्मत एंव तथ्यात्मक आदेश पारित करे।

7 निर्णय आज दिनांक 18.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा